

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम काशीक

नाम न्यायालय 64 मंडल कलकत्ता कोर्ट

केस संख्या 52/2004 (18)

रज

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
23-5-25		<p>प्रावली प्रस्तुत प्रार्थी उपस्थित।                      बुधवार अपराह्निक डेड टिकट 9-6-07 को वेक हो।                      Bm                      सहायक कलक्टर                      आमेर म. प्रयाग</p>
9-6-25		<p>प्रावली प्रस्तुत प्रार्थी उपस्थित।                      प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय सूची गढ़ी। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित आवासीय में प्रार्थी व अपराह्निक का शामिल किया गया निहित है। जिसका विधिवत बंधन नहीं हुआ है। अपराह्निक को विधिक विभाजन के विवादित आवासीय को सुर्द-सुर्द करना चाहिए है, कतः उनके पाबंद किया जावे, प्रस्तुत तर्कों, पल्लो पत्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय सति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। कतः वाड बाहुल्यता को रोकने के लिए डिक्री 15-07-2007 को जारी कन्वेंशन क्लॉस मिनिस्टर को सुलवाड के निस्तारण लक्ष्य किया जाता है। प्रावली के पक्ष में सुमाट होकर क्लॉस उपलब्ध है।                      Bm                      सहायक कलक्टर                      आमेर म. प्रयाग</p>

दिनांक आ कार्यवा